



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2018/माघ 26, 1939

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2018/MAGHA 26, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 170(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध स्कीम, 1976 के पैरा 22 में,-
 - (1) उप पैरा (3) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) जिस माह में सदस्य की मृत्यु हुई है, उस से पूर्व 12 माह की अवधि के दौरान लिया गया औसत मासिक वेतन (अधिकतम 15 हजार रुपए तक) के तीस गुणा के साथ-साथ निधि में मृतक के खाते के औसत शेष और अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि अथवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के 1952 के पैरा 27 या 27क के अधीन औसत शेष का 50 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, पिछले 12 माह अथवा उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो एक लाख और पचास हजार रुपए की सीमा तक;

परंतु यह कि आश्वासन फायदा दो लाख और पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा;

परंतु यह और कि आश्वासन फायदा छह लाख रुपए से अधिक नहीं होगा;
 3. पैरा 22 का उप पैरा (3) के खंड (i) के पहले परंतुक के उपबंध राजपत्र में इस योजना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. एस-35012/08/2017-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणः कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध स्कीम, 1976 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 488(अ), तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि.438(अ) तारीख 4 मई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2018

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. In the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, in paragraph 22, -

(1) in sub-paragraph (3), for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

“(i) the average monthly wages drawn (subject to a maximum of fifteen thousand rupees), during the twelve months preceding the month in which he died, multiplied by thirty times plus fifty per cent. of the average balance in the account of the deceased in the Fund or of a provident fund exempted under section 17 of the Act or under paragraph 27 or 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, as the case may be, during the preceding twelve months or during the period of his membership, whichever is less subject to a ceiling of one lakh and fifty thousand rupees:

Provided that the assurance benefit shall not be less than two lakh and fifty thousand rupees:

Provided further that the assurance benefit shall not exceed six lakh rupees:

3. The provisions of the first proviso of clause (i) of sub-paragraph (3) of paragraph 22 shall be in force for a period of two years from the date of publication of this Scheme in the Official Gazette.”

[F. No. S-35012/8/2017-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28th July, 1976 and was last amended *vide* number G.S.R. 438(E), dated the 4th May, 2017.